न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व वादपत्र संख्या : 199/2017

प्रार्थी :-	बनाम	अप्रार्थीगण :-
1. तहसीलदार, जैतारण लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार तहसील-जैतारण, जिला-पाली		1. मुसरतजहां पत्नी रुस्तमखां 2. रुस्तमखां पुत्र सरदारखां कौम-सिपाही मुसलमान, जैतारण।

राजस्व वादपत्र बाबत् बेदखली अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.30.10.2017

उपस्थितः-

1. तहसीलदार, जैतारण उपस्थित।
2. श्री रुस्तम खान भाटी, अधिवक्ता अप्रार्थीगण।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 12/03/2020

प्रार्थी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार जैतारण लैण्ड होल्डर ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि भूमि हाल खसरा नंबर 43/3 कुल रकबा 25-12 है जो मौजा-रतनपुरा में स्थित है। उक्त आराजी का वादी भूमि धारक लैण्ड हॉल्डर है, प्रतिवादीगण आराजी जैर बहस के खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 ने साथ मिलकर जमीन वर्णित पैरा 01 में को कृषि कार्य के रूप में काम में न लेकर उक्त जमीन को बिना विधिक प्रकिया अपनाएं किस्म परिवर्तन कर सड़क निर्माण सामग्री उत्पादन जमीन को खुर्द बुर्द कर रहे है, जिसका प्रतिवादीगण को कोई हक नहीं है प्रतिवादीगण ने राजस्थान काश्तकारी कानून के प्रावधानों व टीनेन्सी की शर्तो को भंग किया एवं बिना संपरिवर्तन आदेश के भूमि को परिवर्तन की है जिससे राजस्थान सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ है। प्रतिवादीगण द्वारा टीनेन्सी की शर्तो को भंग करने व राजस्थान सरकार के खिलाफ हानिप्रद कार्य करने के कारण अब प्रतिवादीगण को जमीन वर्णित पेरा 01 के अनुसार बेदखल किया जाना व स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित है। दावा हाजा के लिए बिनाय मुखासमत को पैदा हुआ जब पटवारी हल्का ने वादी को प्रतिवादीगण द्वारा जमीन वर्णित पैरा 01 के अवैध रूप से औद्योगिक उपयोग का कार्य करने की सूचना जरिये रिपोर्ट दी। अतः वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर जमीन वर्णित पैरा 01 से बेदखल किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि जमीन वर्णित पैरा 01 को खुर्द बुर्द नहीं करे।

इस पर प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की और से वकालातनामा एवं जवाब प्रार्थना पत्र पेश हुआ। जवाब प्रार्थना पत्र में जाहिर किया कि उपरोक्त प्रार्थना पत्र वादपत्र के बिना प्रस्तुत किया गया है जो कानूनन चलने योग्य नहीं है सायल का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। वर्णित तथ्य कि गैरसायलान खसरा संख्या 43/03 रकबा 27 बीघा 12 बिस्वा के भूमिधारक लेण्ड होल्डर खातेदार काश्तकार होने के कथन सही होने से स्वीकार है। वर्णित तथ्य कि गैरसायलान संख्या 01 व 02 ने मिलकर

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned with CamScanner

वर्णित जमीन कृषि के रूप में काम में न लेकर उपरोक्त जमीन को बिना विधिक प्रकिया अपनाएं अवैध रूप से औद्योगिक उपयोग कर जमीन को खुर्द बुर्द कर रहे है का तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। खसरा संख्या 43/03 रकबा 27 बीघा 12 बिस्वा की कृषि भूमि में से 43/05 रकबा 02 बीघा किस्म बारानी दोयम का नामान्तरण संख्या 235 दिनांक 22.12.2014 के जरिये रूपान्तरण होकर नगरपालिका जैतारण के अधिनस्थ है तथा उपरोक्त 02 बीघा कृषि भूमि की किस्म परिवर्तन होने पर उसे औद्योगिक प्रयोजनार्थ कुछ समय के लिये उपयोग में ली गयी थी खसरा संख्या 43/03 की शेष कृषि भूमि 25 बीघा 12 बिस्वा की भूमि परी किसी प्रकार का कोई औद्योगिक प्रयोजनार्थ कार्य नहीं किया जा रहा है उपरोक्त कृषि भूमि व कृषि से सम्बन्धित कार्य किये जाते है जिसकी वर्तमान स्थिति की फोटो जवाब प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की जा रही है गैरसायलान ने किसी प्रकार की कोई राज्य सरकार को राजस्व के सम्बन्ध में नुकसान पहूंचाने का कार्य नहीं किया है सायल का किसी प्रकार का प्रथमदृष्टया मामला नहीं है राजस्व रेकर्ड संवत 2070 से 2073 की जमाबन्दी में गैरसायलान के नाम म्युटेशन संख्या 235 दिनांक 22.12.2014 को 02 बीघा कृषि भूमि का रूपांतरण नगरपालिका जैतारण का करने का इन्द्राज अंकित होने के बावजूद भी सायल ने बिना किसी दस्तावेज की जाचं के गैरसायलान को तंग व परेशान करने व आर्थिक नुकसान कारित करने से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो प्रथमदृष्टिया साबित नहीं होने से खारिज फरमाया जावें। सायल के पक्ष में किसी प्रकार की सुविधा का सन्तुलन नहीं है सायल ने बिना किसी आधार व कानून के विपरीत जाकर गलत तथ्य अंकित कर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जबकि गैरसायलान के पक्ष में 02 बीघा भूमि का रूपान्तरण होने का राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज का अंकन है तथा राजस्व रेकर्ड की खसरा संख्या 43/03 की रकबा 25 बीघा 12 बिस्वा की कृषि भूमि पर गैरसायलान द्वारा काश्त करने का इन्द्राज खसरा गिरदावरी संवत 2073 में अंकित है लेकिन फिर भी सायल ने उपरोक्त प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है जिसके आधार पर सायल के पक्ष में किसी प्रकार से सुविधा का सन्तुलन नहीं है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र दस्तावेजात एवं शपथपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र आधारहीन होने से खारिज फरमाया जावे। खर्चा प्रार्थना पत्र गैरसायलान को सायल से दिलाया जावे व अन्य कोई सहायता हो जो गैरसायलान को दिलायी जावें।

हमनें वादपत्र, जवाब प्रतिवादी तथा प्रस्तुत दस्तावेजात का अध्ययन और उन पर मनन किया। तहसीलदार जैतारण की और से ग्राम–रतनपुरा, पटवार हल्का–जैतारण, तहसील–जैतारण के खसरा संख्या 43/3 रकबा 25–02 बीघा किस्म बारानी दोयम का बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये किस्म परिवर्तित करने का वाद हाजा न्यायालय में भू–धारक की हैसियत से दर्ज करवाया गया। हमनें पटवारी की मौका फर्द, प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब तथा प्रस्तुत गिरदावरी संवत 2070–2073 का गहनता से अध्ययन किया।

गिरदावरी वर्ष 2070–2073 के अवलोकन से स्पष्ट है कि संवत 2073 में खसरा संख्या 43/3 में खरीफ की फसल के रूप में मूंग 20 बीघा इन्द्राज है। साथ ही प्रस्तुत फोटोग्राफ से अकृषि कार्य करना साबित नहीं हो रहा है। यह भी उल्लेखनीय है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में ऐसे प्रकरणों में उदार दृष्टिकोण अपनाये जाने की अपेक्षा रहती है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned with CamScanner

1955 की धारा 178(2) में यदि ऐसे प्रकरण एवं क्षति साबित भी हो जाती है तो भी काश्तकार को क्षति की पूर्ति या आराजी को मूल स्वरूप में लौटाने जाने हेतु डिक्री के आदेश के बाद भी युक्तियुक्त समय प्रदान करने का विकल्प दिये जाने का कानूनी बाध्यकारी प्रावधान है। हस्तगत प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में प्रथम तो प्रकरण साबित ही नहीं होता, साथ ही हम ऐसे प्रकरण में काश्तकार को धारा 178(2) के तहत अवसर प्रदान करना आवश्यक एवं उचित समझते है।

उपर्युक्त वादपत्र के आलोक में हमारा यह विनम्र अभिमत है कि काश्तकार प्रतिवादी संख्या 01 तथा 02 द्वारा खसरा संख्या 43/3 रकबा 25-02 में किसी प्रकार का अकृषि प्रयोजनार्थ कार्य किया जाना साबित नहीं हो रहा है। अतः वाद वादी बखूबी साबित साबित नहीं होने से खारिज/अस्वीकार किया जाना उचित एवं विधिसंगत समझते है।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादी, तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा-177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बनाम प्रतिवादीगण बखूबी साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर / लेख्य भण्डार जमा हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला-पाली (राज.)

निर्णय आज दिनॉक 12/03/2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2020.04.11 21:10:04 IST
Reason: SelfAttested
Location: